पत्रांक– 3/एम0–24/2023सा0प्र0 17796 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक– 21.9. 2023

विषयः– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 के तहत निलंबन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि किसी सरकारी सेवक को निलंबित किये जाने संबंधी बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 में विहित प्रावधान के अनुप्रयोग के संदर्भ में कतिपय रेफरेन्स प्राप्त हो रहे हैं। उक्त के आलोक में नियम–9 के प्रावधानों का स्पष्टीकरण पुनः परिचारित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि पूर्व में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 में विहित निलंबन से संबंधित प्रावधान का स्पष्टीकरण समय–समय पर निर्गत किया गया है, जो निम्नवत् है–

(i) तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या–773 दिनांक–27.03.2006 (विभागीय कम्पेन्डियम वर्ष 2001–2010 का पृष्ठ संख्या–362–364) द्वारा सरकारी सेवकों को निलंबित किये जाने से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में मार्गदर्शन निर्गत किया गया है।

(ii) तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या–1927 दिनांक–09.04.2009 (विभागीय कम्पेन्डियम वर्ष 2001–2010 का पृष्ठ संख्या–324–331) द्वारा किसी निलंबित सरकारी सेवक द्वारा उनके निलंबन के विरुद्ध दायर एल0पी0ए0सं0–262/08 अखिलेश कुमार शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–26.08.2008

को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश की छायाप्रति मार्गदर्शन हेतु सभी विभागों/कार्यालयों को परिचारित किया गया है।

3. उक्त परिपत्रों द्वारा संसूचित मार्गदर्शन के कार्यकारी अंश निम्नवत् हैं–

(क) उपर्युक्त परिपत्र संख्या–773 दिनांक–27.03.2006 द्वारा निलंबन के प्रावधान के संबंध में परिचारित विस्तृत मार्गदर्शन निम्नवत् है–

(i) वर्ष 2005 की उक्त नियमावली के नियम–30 के अनुसार किसी अन्य नियमावलियों में 2005 की नियमावली के प्रतिकूल किसी बात के होने पर भी 2005 की नियमावली के प्रावधानों का ही अभिभावी प्रभाव (over-riding effect) होगा। अतः निलंबित करने, निलंबन अवधि में जीवन–निर्वाह् भत्ता का भुगतान, पुनःस्थापित किये जाने पर सेवा का निरूपण आदि सभी कार्रवाईयाँ अब 2005 की उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार ही की जानी है। अब बिहार सेवा संहिता के नियम–96 से 100 तक के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई नहीं कर 2005 की उक्त नियमावली के नियम–9 से 13 तक में किये गये प्रावधानों का अनुसरण किया जाना है।

(ii) नियुक्ति प्राधिकार या नियुक्ति प्राधिकार से उच्च पदस्थ प्राधिकार या अनुशासनिक प्राधिकार या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार नियम–9(1) के अंतर्गत किसी सरकारी सेवक को निलंबित करने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

(iii) नियम–9 (1) (क), (ख), एवं (ग) के अन्तर्गत किसी सरकारी सेवक को निलंबित किया जा सकता है। नियम–9(2) में, हिरासत की अवधि के लिए निलंबित समझे जाने संबंधी प्रावधान है। नियम–9(3) में नियम–(2) वाले मामलों के संबंध में हिरासत से बाहर आने पर योगदान स्वीकार किये जाने और तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार नियम–9(1) (क), (ख), एवं (ग) के अन्तर्गत पुनः निलंबित करने का प्रावधान है। ऐसा पाया गया है कि सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन होने की स्थिति में भी ऐसे मामलों में नियम–9 के उप–नियम–(2) के अन्तर्गत निलंबन की कार्रवाई की जाती है।

यदि कोई सरकारी सेवक पूर्व से निलंबित नहीं हो और आकस्मिक किसी कार्रवाई के कारण हिरासत में जाता है अथवा हिरासत में जाने की सूचना बाद में प्राप्त होती है तो ऐसे मामलों में नियम–9 के उपनियम–(2) के तहत निलंबित समझे जाने का आदेश निर्गत किया जा सकता है। परन्तु, जहाँ नियम–9(1) के तहत निलंबन का औचित्य हो वैसे मामलों मे हिरासत में जाने की स्थिति में भी नियम–9(1) के तहत कार्रवाई करना

उचित होगा जिससे हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् पुनः नियम–9(1) के तहत निलंबित करने की कार्रवाई की आवश्यकता न हो।

(iv) नियम–9 के उप नियम(3) की कार्रवाई उप नियम (2) के अन्तर्गत के मामलों में ही की जा सकती है, उप नियम(1) के अन्तर्गत के मामलों में नहीं।

(v) नियम–9(4) के अनुसार निलंबनाधीन सरकारी सेवक यदि कालक्रम में सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति से दंडित हो जाता है और ऐसा दंड अपील या पुनरीक्षण में निरस्त हो जाता है और मामला पुनर्जांच या कार्रवाई में भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा सरकारी सेवक सेवाच्युति, बर्खास्तगी या सेवानिवृत्ति की तिथि से लगातार अगले आदेश तक निलंबन में रहेगा।

(vi) नियम–9(7) के अनुसार निलंबन आदेश के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के भीतर आरोप–पत्र गठित कर दिया जाना है। यदि तीन माह के अंदर आरोप–पत्र गठित नहीं होता है तो निलंबनादेश वापस लिया जायेगा। परन्तु, निलंबनादेश निर्गत करनेवाला प्राधिकार आरोप–पत्र गठित करने में विलम्ब के कारणों को अभिलेखित करते हुए 4 माहों के लिए निलंबन को नवीकृत करे तो निलंबन जारी रह सकता है। यदि नवीकरण के चार माहों के बाद भी आरोप–पत्र गठित नहीं हो पाता है तो निलंबनादेश स्वतः वापस ले लिया गया समझा जायेगा।

(vii) निलंबन के दौरान जीवन–निर्वाह् भत्ता का प्रावधान नियम–10 में किया गया है। इस संबंध में अब बिहार सेवा संहिता के नियम–96 के अनुसार कार्रवाई नहीं की जानी है। नियम–10 के प्रावधानों के अनुसार अर्द्ध औसत वेतन के बराबर जीवन–निर्वाह् भत्ता और इसके अतिरिक्त ऐसे अर्द्ध वेतन पर अनुमान्य महँगाई भत्ता मिल सकता है। अन्य कोई भत्ता अनुमान्य नहीं किया गया है।

(viii) नियम–9(2) के अंतर्गत निलंबित समझे जाने वाले मामलों में भी जीवन–निर्वाह् भत्ता की अनुमान्यता और प्रक्रिया नियम–10(3) में प्रावधानित है।

(ix) कारावास अवधि के लिए मुख्यालय का निर्धारण नहीं होने का उल्लेख नियम–10(14)(iii) द्वितीय परन्तुक में किया गया है। नियम–10(3) के अनुसार ऐसे मामले में जीवन–निर्वाह् भत्ता का भुगतान संबंधित सरकारी सेवक के प्राधिकार–पत्र के आधार पर उसके नामांकित को किया जाना है तथा उसी स्थापना से भुगतान होना है जहाँ वह हिरासत में जाते समय था।

(x) निलंबन के पश्चात् पुनःस्थापित किये जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन भुगतान की अनुमान्यता संबंधी प्रावधान नियम–11 में, अपील के परिणामस्वरूप सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनःस्थापन पर सेवा का निरूपण एवं वेतन/भत्ते की अनुमान्यता संबंधी प्रावधान नियम–12 में और न्यायालय द्वारा सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निरस्त किये जाने पर पुनःस्थापन, सेवा का निरूपण और वेतन/भत्ते की अनुमान्यता संबंधी प्रावधान नियम–13 में किया गया है।

(xi) जहाँ निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतनादि के भुगतान का आदेश नहीं होता है, वहाँ नियम–11(5) के अनुसार वेतन एवं भत्ते अनुपात का विनिश्चय किया जा सकता है और एतदर्थ संबंधित सरकारी सेवक को नोटिस देकर और उक्त नोटिस के तामिला होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर उस सरकारी सेवक से प्राप्त अभ्यावेदन (यदि कोई हो) पर विचार कर वेतन एवं भत्ते का विनिश्चय किया जा सकता है।

(ख) परिपत्र संख्या–1927 दिनांक–09.04.2009 द्वारा परिचारित एल0पी0ए0सं0–262/08 में दिनांक–26.08.2008 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश कार्यकारी अंश निम्नवत् है–

12. If a competent authority passes an order of suspension in the public interest against a government servant who has been charged in the criminal offence and the criminal offence is under investigation, inquiry or trial by invoking section 9(1) (c), we are afraid, such order of suspension is not rendered bad in law, merely because rule 9(2) (a) was also invoked as the government servant had been in detention for a period exceeding forty-eight hours and later on he came to be released on bail.

13. In so far as the present case is concerned, it is an admitted position that on 17th March, 2007, a criminal case was registered against the appellant and he was also arrested on that date and by a composite order passed on 04th April, 2007, in exercise of the power under rules 9(1) (c) and 9 (2) (a), the appellant was suspended. It is true that the appellant was released on bail in the month of July, 2007 and in view thereof, his suspension under rule 9 (2) (a) may not continue any longer, but his suspension under rule 9(1) (c) does not get affected.

14. The contention of the senior counsel based on rule 9(7), is noted to be rejected only. In view of what we observed above that

suspension order under rule 9(1) (c) holds the field and is not rendered bad in law, rule 9(7) is of no help to the appellant. As a matter of fact, rule 9(7), in the fact-situation, has no application at all. Merely, because the appellant is being proceeded simultaneously in departmental proceedings and there was some delay in framing the departmental charges, that does not invalidate the order of suspension dated 04th April, 2007 which is founded in exercise of the power under rule 9(1) (c) of the Bihar CCA Rules, 2005.

4. उपर्युक्त कंडिका–3 में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि –

(i) यदि कारानिरुद्ध सरकारी सेवक को नियम–9(2)(क) के आलोक में कारानिरुद्ध होने की तिथि से निलंबित किया जाता है तो जमानत पर रिहा होने के उपरान्त सरकारी सेवक द्वारा प्रशासी विभाग/कार्यालय में योगदान किये जाने पर उनका योगदान नियम–9(3)(i) के तहत स्वीकृत किया जायेगा।

(ii) नियम–9(3)(ii) में स्पष्ट किया गया है कि यदि नियम–9 के उप–नियम–(1)(क) या (ख) या (ग) के अधीन सरकारी सेवक को पुनः निलंबित करने का निर्णय लिया जाता है तो नियम–9(3)(i) के अनुसार योगदान स्वीकार करने के बाद अलग से आदेश निर्गत कर उन्हें निलंबित किया जा सकेगा। इस प्रकार किया गया निलंबन भूतलक्षी (Retrospective) प्रभाव से नहीं किया जायेगा बल्कि उक्त निलंबन आदेश निर्गत करने की तिथि से होगा।

(iii) नियम–9(3)(i) के तहत योगदान स्वीकृति की तिथि से पुनः निलंबित किये जाने की तिथि के पूर्व की तिथि तक की अवधि का पूर्ण वेतनादि का भुगतान संबंधित सरकारी सेवक को किया जायेगा।

5. अतः अनुरोध है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 के तहत किसी सरकारी सेवक के निलंबन के संबंध में कार्रवाई उपर्युक्त कंडिका–3 एवं 4 में वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों के पदाधिकारियों/कर्मियों को निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन,

Rajendra 19.9.2013

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव